क्रम-संख्या—283

रजिस्ट्रेशन नम्बर—जी—11/लाई०—
न्यूज पेपर/91/05—06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 11 दिसम्बर, 2006

अग्रहायण 20, 1928 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1520/79 वि-1—01 (क) 39-2006

लखनऊ, 11 दिसम्बर, 2006

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर दिनांक 8 दिसम्बर, 2006 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2006 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 2006)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 कहा जायेगा।

अध्याय–दो

प्रारम्भिक

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 43-घ का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916, जिसे एतद्धीन इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 43-घ में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

"(4) नगरपालिका का गठन अथवा पुनर्गठन हो जाने के सात दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट इस धारा में विहित रीति से शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए नगरपालिका की बैठक बुलायेगा और ऐसी बैठक की अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी डिप्टी कलेक्टर द्वारा की जायेगी। इस प्रकार बुलाई गयी बैठक को नगरपालिका की प्रथम बैठक माना जायेगा।"

नई धारा 68-ख व धारा 68-ग का बढ़ाया जाना

3–मूल अधिनियम की धारा 68-क के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

"68-ख (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सम्बन्धित नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका के किसी ऐसे नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी को, जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, निदेश दे सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय तक और रीति से अपने काम पर उपस्थित हों,

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तद्धीन बनाए नये नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, –

(क) नगरपालिका के किसी नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी का सेवायोजन या उसकी संविदा, यदि कर्मचारी उक्त आदेश की प्रतिक्रिया में अपने काम पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से शून्य हो जायेगी।

(ख) जहाँ खण्ड (क) के अधीन किसी नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी का सेवायोजन या उसकी संविदा शून्य हो जांय, वहाँ ऐसे कर्मचारी की सेवायें समाप्त हो जायेंगी और ऐसा कर्मचारी अपनी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा और ऐसी कार्यवाही के पूर्व किसी अनुशासनिक जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) विशेषतया, और इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात् नगरपालिका किसी ऐसे कर्मचारी के वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

68–ग–सम्बद्ध नगरपालिका का अधिशासी अधिकारी उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तद्धीन बनाए गये नियमों या विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा 68-ख में निर्दिष्ट कर्मचारी के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्धारित योग्यताधारी किसी व्यक्ति को अस्थायी आधार पर नियुक्ति करने के लिए सक्षम होगा।"

अध्याय–तीन

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 85 का संशोधन

4–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 85 में, उपधारा (1-क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :–

(1-क) निगम की धारा 9 के अधीन संगठन अथवा धारा 538 के अधीन पुनस्संगठन हो जाने के सात दिन के भीतर नगर आयुक्त नगर निगम का एक अधिवेशन बुलायेगा। मण्डल का आयुक्त या उसकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट महापौर को शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा और तत्पश्चात् महापौर ऐसे पार्षदों को, जो निर्वाचित घोषित किये गये हों, शपथ दिलायेगा या प्रतिज्ञान करायेगा। ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता मण्डल के आयुक्त या उसकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी। इस प्रकार बुलाये गये अधिवेशन को नगर निगम का प्रथम अधिवेशन माना जायेगा।

नई धारा 112-ङ का बढाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 112-घ के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"112 (ङ) (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और अधिनियम या तद्धीन बनाए गये नियमों द्वारा प्रदत्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगर आयुक्त किसी भी समय सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा नगर निगम के किसी ऐसे नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी को, जो उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश द्वारा निषिद्ध किसी हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, निदेश दे सकता है कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय तक और रीति से अपने काम पर उपस्थित हों,

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तद्धीन बनाए नये नियमों में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) निगम के साथ किसी नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी का सेवायोजन या उसकी संविदा, यदि कर्मचारी उक्त आदेश की प्रतिक्रिया में अपने काम पर उपस्थित होने में विफल रहता है, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय से शून्य हो जायेगी।

(ख) जहां खण्ड (क) के अधीन किसी नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी का सेवायोजन या उसकी संविदा शून्य हो जाय, वहां ऐसे कर्मचारी की सेवायें समाप्त हो जायेंगी और ऐसा कर्मचारी सेवाओं की ऐसी समाप्ति के पूर्व किसी नोटिस का हकदार न होगा और ऐसी कार्यवाही के पूर्व किसी अनुशासनिक जाँच की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) विशेषतया, और इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट दिन या समय के पश्चात् नगर निगम किसी ऐसे कर्मचारी के वेतन के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) नगर आयुक्त, इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या तद्धीन बनाए गये नियमों और विनियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए निर्धारित योग्यताधारी किसी व्यक्ति को अस्थायी आधार पर नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा।"

धारा 172 का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 172 में,–

(क) उपधारा (1) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(ग) हेलीकाप्टरा, अथवा अन्य प्रकार के यानों पर, जब वे निगम के भीतर स्थित हेलीपैडों, हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों या इस निमित्त निर्मित स्थलों पर उतरते अथवा उड़ान भरते हों। इस प्रकार अधिरोपित कर का भुगतान, यथास्थिति, विमान पत्तन प्राधिकरण अथवा हवाई अड्डों, हवाई पट्टी, हेलीपैड या स्थल का रखरखाव, प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण में अन्तर्ग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों या प्रबन्धक या निदेशक या संस्था या विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।"

(घ) व्यापारों और व्यवसायों पर कर,

(ङ) नगर के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेखों पर कर,

(च) नगर के भीतर स्थित खाली भूमि पर कर,.

(ख) उपधारा (2) में,–

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(क) आजीविकाओं और सार्वजनिक या निजी नियुक्ति होने पर कर."

(दो) खण्ड (छ) को निकाल दिया जाएगा।

धारा 177 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 177 में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ग) ऐसे भवनों, जो एक मात्र स्कूलों या इण्टरमीडिएट कालेजों के रूप में प्रयुक्त होते हों, चाहे वे राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो या न हों, राजकीय सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास से संबंधित संस्थानों के मैदान, खेत तथा उद्यान, राजकीय सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के खेल के मैदान और खेल स्टेडियम।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के उपबंधों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियमों में निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए संशोधन किया जाय:–

(क) यह स्पष्ट करना कि शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए किसी सम्बन्धित नगरपालिका या किसी निगम की उसके गठन या पुनर्गठन के पश्चात् बैठक, यथास्थिति उस नगरपालिका या निगम की प्रथम बैठक होगी ;

(ख) किसी नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी या किसी निगम के नगर आयुक्त को सशक्त करना कि वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यथास्थिति नगरपालिका या निगम के किसी ऐसे नियमित, तदर्थ या संविदात्मक कर्मचारी को, जो किसी निषिद्ध हड़ताल पर जाता है या रहता है या अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, अपने काम पर उपस्थित होने के लिए तथा ऐसे कर्मचारियों जो उक्त आदेश का अनुपालन करने में विफल हो गये हों द्वारा धारित पदों पर नयी नियुक्ति करने के लिए, निदेश दे सकता है :

(ग) निगम को प्राधिकृत करना कि वह नगर के भीतर रखे गये सवारी करने, सफर करने, लदान या भार के लिए प्रयुक्त पशुओं के स्थान पर हेलीकाप्टरों अथवा किसी अन्य प्रकार के यानों पर कर अधिरोपित करे जब वे निगम के भीतर स्थित हेलीपैडों, हवाई अड्डों या हवाई पट्टियों या इस प्रयोजन के लिए निर्मित स्थलों पर उतरते अथवा उड़ान भरते हों ;

(घ) निगम को प्राधिकृत करना कि वह कतिपय ऐसे मदों पर कर आधेरोपित करे जिनके सम्बन्ध में निगम अब तक ऐसे मदों के अतिरिक्त कर अधिरोपित करने के लिए प्राधिकृत हो जिन पर निगम कर अधिरोपित करने के लिए पूर्णतः प्राधिकृत हो ;

(ङ) राजकीय सहायता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास से सम्बन्धित संस्थानों के मैदान, खेत तथा उद्यान, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के खेल के मैदान और खेल स्टेडियम को कर के उद्ग्रहण से मुक्त रखना।

तदनुसार उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
वीरेन्द्र सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 1520/LXXIX-V-1–01(Ka) 39-2006
Dated Lucknow, December 11, 2006

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Sthaniya Swayatta Shasan Vidhi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2006 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 38 of 2006) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 8, 2006 .

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF GOVERNMENT LAWS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2006

(U.P. ACT NO. 38 OF 2006)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER-I
Preliminary

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self Government Laws (Second Amendment) Act, 2006. Short title

CHAPTER-II

Preliminary

Amendment of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916

Amendment of section 43-D of U.P. Act no. 2 of 1916

2. In section 43-D of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 hereinunder in this chapter referred to as the principal Act, *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely :—

"(4) Within seven days of the constitution or reconstitution of the Municipality, the District Magistrate shall convene a meeting of the Municipality for the Administration of oath or affirmation in the manner prescribed in this section and such meeting shall be presided over by the District Magistrate or in his absence by a Deputy Collector nominated by him in this behalf. The Meeting, so convened shall be treated as the First Meeting of the Municipality."

Insertion of new section 68-B and section 68-C

3. *After* section 68-A of the principal Act the following sections shall be *inserted*, namely:–

"68-B (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force and without prejudice to the generality of the powers conferred by this Act or the rules made thereunder the Executive Officer of concerned Municipality, may at any time by general or special order direct any regular, *adhoc* or contractual employee of the Municipality, who goes or remains on or otherwise takes part in any strike which has been prohibited by an order under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 to resume duty by the day or hour and in the manner specified in the order.

(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act or the rules made thereunder,–

(a) the employment or contract of a regular, *adhoc* or contractual employee of the Municipality shall become void with effect from the day or hour specified in the order referred to in sub-section (1) if the employee fails to resume duty in response to the said order;

(b) where the employment or contract of a regular, *adhoc* or contractual employee becomes void under clause (a), the services of such employee shall stand terminated and such employee shall not be entitled to any notice before the termination of his services and no disciplinary enquiry shall be required before such action.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this section, the Municipality shall not be liable for payment of salary of any such employee beyond the day or hour specified in the order referred to in sub-section (1).

68-C. The Executive Officer of concerned Municipality shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act or the rules or regulations made thereunder be competent to appoint on temporary basis any person possessing the requisite qualifications for discharging the duties of the post of the employee referred to in section 68-B."

CHAPTER–III

Amendment of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959

Amendment of section 85 of U. P. Act no. 2 of 1959

4. In section 85 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, *for* sub-section (1-A) the following sub-section shall be *substituted*, namely:–

"(1-A) Within seven days of the constitution under section 9 or reconstitution under section 538 of the Corporation the Municipal Commissioner shall convene a meeting of the Municipal Corporation. The Commissioner of the Division or in his absence the District Magistrate shall administer the oath or affirmation to the Mayor and thereafter the Mayor shall administer the oath or affirmation to corporators who have been declared elected. Such meeting shall be presided over by the Commissioner of the Division or in his absence the District Magistrate. The meeting so convened, shall be treated as the First Meeting of the Municipal Corporation."

Insertion of new section 112-E

5. *After* section 112-D of the principal Act the following sub-section shall be *inserted*, namely:–

"112-E (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force and without prejudice to the generality of the powers conferred by this Act or the rules made thereunder the Municipal Commissioner may at any time by general or special order direct any regular, *adhoc* or contractual employee of the Municipal Corporation who goes or remains on or otherwise takes part in any strike which has been prohibited by an order under sub-section (1) of section 3 of the Uttar Pradash Essential Services Maintenance Act, 1966 to resume duty by the day or hour and in the manner specified in the order.

(2) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act or the rules made thereunder,–

(a) the employment or contract of a regular, *adhoc* or contractual employee with the Corporation shall become void with effect from the day or hour specified in the order referred to in sub-section (1) if the employee fails to resume duty in response to the said order;

(b) where the employment or contract of a regular, *adhoc* or contractual employee becomes void under clause (a), the services of such employee shall stand terminated and such employee shall not be entitled to any notice before the termination of his services, nor any disciplinary inquiry shall be required before such action.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions of this section, the Municipal Corporation shall not be liable for payment of salary of any such employee beyond the day or hour specified in the order referred to in sub-section (1).

(4) The Municipal Commissioner shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder be competent to appoint on temporary basis any person possessing the requisite qualifications for discharging the duties of the post or the employee referred to in sub-section (2).

Amendment of section 172

6. In section 172 of the principal Act,–

(a) in sub-section (1) *for* clause (c) the following clauses shall be *substituted*, namely:–

"(c) a tax on helicopters or any other type of planes, when they land on or take off from the helipads, airports, airsteps or places made for this purpose situated within the Corporation. The tax so imposed shall be paid by the airport authority or person or persons, or managers, or director or institution or department or agency involved in the maintenance, management and supervision of the airport, airstrip, helipad or the place as the case may be."

(d) a tax on trades and professions.

(e) a tax on deeds of transfer of immovable property situated within the city.

(f) a tax on vacant land situated within the city.

(b) in sub-section (2),–

(i) *for* clause (a) the following clause shall be *substituted*, namely:–

"(a) a tax on callings and on holding a public or private appointment."

(ii) clause (g) shall be *omitted*.

Amendment of section 177

7. In section 177 of the principal Act, *for* clause (c) the following clause shall be *substituted*, namely:–

"(c) building solely used as schools and intermediate colleges whether aided by the State Government or not, fields, farms and gardens of Government aided institutes of research and development, playgrounds of Government aided or unaided recognised educational institutions and sports stadium."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to making the provisions of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 more effective, it has been decided to amend the said Acts mainly to provide for,—

(a) clarifying that the meeting of a Municipality or of a Corporation convened after its constitution or re-constitution for administration of oath or affirmation shall be the first meeting of that Municipality or Corporation as the case may be;

(b) empowering the Executive Officer of a Municipality or the Municipal Commissioner of a Corporation to direct, by general or special order, any regular, *adhoc* or contractual employee of the Municipality or the Corporation, as the case may be, who goes or remains on or otherwise takes part in any prohibited strike to resume duty and to make new appointment to the posts held by the employees who have failed to comply with the said order;

(c) authorising the Corporation to impose tax on helicopters or any other type of planes when they land on or take off from the helipads, airports, airstrips or places made for this purpose situated within the Corporation instead of on animals used for riding, driving, draught or burden kept within the city;

(d) authorising the Corporation to impose tax on certain items in respect of which the Corporation is heitherto authorised to impose tax in addition to the items on which the Corporation is fully authorised to impose tax;

(e) exempting from levy of tax the fields, farms and gardens of Government, aided institutes of research and development, playgrounds of Government, aided or unaided recognised educational institutions and sports stadium.

The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Second Amendment) Bill, 2006 is introduced accordingly.

By order,
VIRENDRA SINGH,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 3199 राजपत्र–(हिन्दी)–2006–(6800)–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 204 सा० विधा०–2006–(6801)–850 प्रतियां–(कम्प्यूटर / आफसेट)।